

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला**भिण्ड (म0प्र0)****आपराधिक प्रक0क्र0-1431 / 15****संस्थित दिनांक-30.12.15**

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

बनवारी उर्फ बंटी पुत्र कप्तानसिंह परिहार उम्र 37 साल

निवासी ग्राम डांग थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 15.03.18 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-बी)(ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 16.12.15 को 23 बजे ग्राम डांग की मोड़ भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड के पास सार्वजनिक स्थल पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय आयुध तथा दो जिंदा राउण्ड अवैध रूप से बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के रखा।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 16.12.15 को थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक ए0एस0 तोमर इलाका गश्त हेतु रवाना हुए थे। उन्हें दौरान गश्त मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त बंटी उर्फ बनवारी एक अधिया लिए भिण्ड ग्वालियर रोड के पास ग्राम डांग के मोड़ पर अप्रिय घटना करने के उद्देश्य से खड़ा है। सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो अभियुक्त रोड किनारे खड़ा था। उससे नाम पता पूछा और तलाशी ली तो कमर मे बांयी तरफ एक 315 बोर की अधिया मिली तथा पैंट में दाहिनी तरफ की जेब में दो जिंदा कारतूस 315 बोर के मिले। अधिया व कारतूस रखने का लायसेंस चाहे जाने पर न होना बताया। अभियुक्त से उक्त आग्नेय आयुध जब्तकर जब्ती पत्रक बनाया गया, उसे गिर0 कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। थाने पर वापस आकर अपराध क्रमांक 287/15 पर पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान कथन लिए गए, जब्तशुदा आग्नेय आयुध की जांच कराई गयी, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.12.15 को 23 बजे ग्राम डांग की मोड़ भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड के पास सार्वजनिक स्थल पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय आयुध तथा दो जिंदा राउण्ड अवैध रूप से बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के रखा ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में आर० विक्रमसिंह अ०सा० 1, राघवेन्द्र शुक्ला अ०सा० 2, लक्ष्मणसिंह अ०सा० 3, अशोकसिंह तोमर अ०सा० 4, सुनील बौहरे अ०सा० 5, सुरेश मिश्रा अ०सा० 6 तथा महेन्द्रसिंह अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

6. जब्तीकर्ता अशोकसिंह तोमर अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि दि० 16.12.15 को वे मय फोर्स इलाका गश्त हेतु रवाना हुए थे। दौराने गश्त मुखबिर की सूचना मिली थी अभियुक्त बंटी उर्फ बनवारी निवासी डांग का एक अधिया लिए हाईवे रोड भिण्ड ग्वालियर के पास ग्राम डांग के मोड़ पर कोई अप्रिय घटना कारित करने के उद्देश्य से खड़ा है। उक्त सूचना की तत्पश्चात् हेतु मय फोर्स वाहन डांग मोड़ पर पहुंचे तो एक व्यक्ति रोड के बगल में खड़ा था, उसका नाम पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम बताया। तलाशी लेने पर कमर में बांयी तरफ एक 315 बोर की अधिया एवं दाहिनी जेब से दो जिंदा कारतूस मिले। उक्त अधिया व कारतूस रखने का लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया। उक्त अधिया व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक प्र०पी० 1 बनाया तथा गिर० कर गिर० पत्रक प्र०पी० 2 बनाया। प्र०पी० 1 व 2 पर अपने सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी आरक्षक राघवेन्द्र एवं विक्रम के सामने उक्त कार्यवाही किए जाने का कथन करते हैं। तत्पश्चात् आरोपी को थाना लाकर प्र०पी० 3 की एफ०आई०आर० पंजीबद्ध किए जाने और उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। न्यायालय में प्रस्तुत अधिया व कारतूस क्रमशः आर्टीकल ए 1 लगायत ए३ अभियुक्त से जब्त होने के संबंध में कथन करते हैं।

7. आरक्षक विक्रम अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि दि० 16.12.15 को वे सहायक उपनिरीक्षक अशोकसिंह तोमर, एसआई पाठक, एसआई मिश्रा व प्र०आर० लक्ष्मण के साथ मय स्टाफ कस्बा भ्रमण हेतु गए थे तब एसआई तोमर को सूचना मिली थी जिसके आधार पर अभियुक्त को डांग मोड़ पर एक अधिया पैट के नीचे खुरसे और दाहिनी जेब से दो कारतूस जब्त किए थे, प्र०पी० 1 व 2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। राघवेन्द्र अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में उसीप्रकार से समर्थन करते हुए अभियुक्त के पास से 315 बोर की अधिया बांयी तरफ पैट के नीचे खुरसे होने और दाहिनी जेब से दो कारतूस 315 बोर के जब्त किए जाने का समर्थन करते हैं। प्रपी 1 व 2 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

8. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में जब्ती स्थल डांग मोड बताया गया है जो कि सार्वजनिक स्थान हैं और कोई भी स्वतंत्र जनता का गवाह कार्यवाही का साक्षी नहीं बनाया गया है इस कारण से अभियोजन का मामला संदिग्ध है। प्रकरण में जब्ती स्थल ग्राम डांग मोड ग्वालियर-भिण्ड राजमार्ग लेख है जो कि निश्चित रूप से सार्वजनिक स्थान हैं। यद्यपि रात 11 बजे जब्ती कार्यवाही होना लेख है, तत्समय आसानी से जनता का गवाह मिलना संभव नहीं हैं। साथ ही साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जाए, बल्कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य को भी साधारण साक्षियों की भांति विश्लेषण एवं संपुष्टि के आधार पर विश्वास किया जा सकता है। प्रकरण में इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि क्या अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय हैं।

9. अशोकसिंह तोमर अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उनके द्वारा गश्त के लिए रवानगी नहीं डाली गयी थी, बल्कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने डाली थी। सुरेश मिश्रा अ0सा0 6 प्रकरण में रोजनामचा सान्हा की नकल प्र0पी0 5 व 6 के रूप में प्रमाणित करते हैं। उक्त रोजनामचा सान्हा प्र0पी0 5 में शासकीय वाहन से पेटरोलिंग एवं आरोपी की तलाश हेतु रवाना होने का उल्लेख किया गया है। उक्त रोजनामचा सान्हा क0 911 का उल्लेख प्र0पी0 1 व 2 एवं प्र0पी0 3 किसी भी दस्तावेज में नहीं हैं। चूंकि किसी स्वतंत्र साक्षी से अभिकथित जब्ती के तथ्य को प्रमाणित किए जाने के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं ऐसी दशा में रोजनामचा सान्हा की सुसंगत प्रविष्टि का उल्लेख महत्वपूर्ण हो जाता है। प्र0पी0 1 व 2 की कार्यवाही करने में कम से कम दस मिनट का समय लगा होगा, जैसा दस्तावेजों से दर्शित है। ऐसी दशा में उक्त दस मिनट की अवधि में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का न मिलने का तथ्य रोजनामचा सान्हा का उल्लेख प्राथमिकी प्र0पी0 3 में न किए जाने की दशा में महत्वपूर्ण हो जाता है।

10. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से बचाव लिया गया है कि उससे कोई भी आग्नेय आयुध अधिया व कारतूस जब्त नहीं हुआ है, बल्कि पुलिस द्वारा उसे मिथ्या अपराध में लिप्त किया गया है। इस संबंध में अशोकसिंह तोमर अ0सा0 4 का कथन महत्वपूर्ण है जो कि अपने मुख्य परीक्षण में बताते हैं कि अभियुक्त से अभिकथित अधिया व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक तैयार किया। प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक में उसे कपडे में सीलबंद किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि समक्ष पंचान विधिवत जब्ती व जब्ती चिट चस्पा किए जाने का उल्लेख है। जब्ती चिट के संबंध में उल्लेखनीय है कि अशोकसिंह तोमर अ0सा0 4 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि अधिया के साथ माल नंबर 107/15 की चिट लगी है जिस पर ओवर राईटिंग है। यह भी स्वीकार करते हैं कि जिस कपडे में अधिया सील की गयी उस पर अप0क0 287 उल्लेख है लेकिन किस वर्ष का है यह उल्लेख नहीं है। साक्षी यह भी स्वीकार करते हैं कि अधिया सील पर माल नंबर 17/16 उनके द्वारा नहीं

लिखा गया है। प्रकरण में संलग्न माल पर्चे में न्यायालय के मालखाना का नंबर 17/16 है। अपराध क्रमांक 287 थाना गोहद चौराहा संबंधित है जिससे यह मामला उद्भूत है परंतु अधिया पर लगी चिट पर माल नं० 107/15 लेख है जिस पर भी ओवर राईटिंग है, शेष नंबर 17/16 एवं 287 जब्तशुदा आग्नेय आयुध पर उपर से लगे कपड़े पर अंकित है। ऐसी दशा में 107/15 किस स्थान के माल नंबर का है, यह स्पष्ट नहीं हैं। जब्तीकर्ता भी कण्डिका 4 में बताने में अस्मर्थ है कि जब्तशुदा अधिया का कौनसा माल नंबर सही है। साक्षी कण्डिका 3 में स्वीकारकरते हैं कि अनुसंधान के दौरान अभियोग पत्र में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं हैं कि माल नंबर प्र०आर० द्वारा डाले गए हैं। माल नंबर 107/15 जब्तशुदा आयुध पर डाले जाने का उल्लेख प्राथमिकी प्र०पी० 3, रोजनामचा प्र०पी० 6 एवं अभियोगपत्र में कहीं भी नहीं किया गया है। इस प्रकार से जब्तशुदा आग्नेय आयुध की अनन्यता प्रश्नचिन्हित हो रही है।

11. प्रकरण में आरक्षक सुनील बौहरे अ०सा० 5 आरमोरर हैं जो दिनांक 17.12.15 को जब्तशुदा आग्नेय आयुध जांच हेतु प्राप्त होने का कथन करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि सैनिक 86 केदारसिंह आग्नेय आयुध को लेकर आए थे जिसकी उन्होंने जांच की थी। जांच में अधिया एवं कारतूस जीवित होना पाए थे। प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि जब्तशुदा आयुध अधिया सफेद कपड़े में बंद थी जिस पर कुछ लिखा नहीं था, जबकि अशोकसिंह तोमर अ०सा० 4 के कथन के समय उक्त अधिया पर लगे कपड़े पर अपराध क्रमांक 287 एवं माल नंबर 17/16 अंकित है। उक्त अधिया को सीलबंद प्राप्त होने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है, मात्र सफेद कपड़े में बंद होने का कथन किया है, जबकि प्र०पी० 4 के प्रतिवेदन सीलबंद प्राप्त होने और सीलबंद सैनिक 86 केदारसिंह को जब्तशुदा आग्नेय आयुध लौटाए जाने का उल्लेख है। महेन्द्रसिंह अ०सा० 7 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि दिनांक 28.12.15 को जब्तशुदा अधिया व दो कारतूस कपड़े में बंद आरक्षक 445 अजीत सिकरवार द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जिला दण्डाधिकारी से अभियोजन स्वीकृति चाही गयी थी तब जिला दण्डाधिकारी द्वारा सीलबंद आयुध को खुलवाकर केस डायरी अवलोकन उपरांत प्र०पी० 7 की अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी जो प्र०पी० 7 बताकर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी तथा बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्राणित करते हैं। उक्त साक्षी ने आयुध के सीलबंद प्राप्त होने का कथन किया है, किन्तु स्पष्ट नहीं हैं कि कौनसी सील उस समय लगी थी। इस प्रकार से जब्तशुदा आग्नेय आयुध की अनन्यता के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न होता है।

12. सुरेश मिश्रा अ०सा० 6 अनुसंधानकर्ता हैं जो प्रकरण में साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने, जब्तशुदा आग्नेय आयुध को पुलिस लाईन भेजकर जांच कराने और अभियोजन स्वीकृति हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का कथन करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण में बताने में अस्मर्थ हैं कि उन्होंने

अभियोजन स्वीकृति हेतु जो अधिया भेजी उसकी क्या लंबाई थी। साक्षी अनुसंधानकर्ता है और उनके द्वारा जब्तशुदा संपत्ति जिसे वे अनुसंधान के प्रकृम में जांच कराने और अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजने का कथन करते हैं किन्तु स्वयं ही उसकी लंबाई बताने में अस्मर्थ हैं। ऐसी दशा में उक्त विरोधाभास महत्वपूर्ण हैं। किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव और रोजनामचा सान्हा के संबंध में सुसंगत प्रविष्टि न होने, जब्तशुदा आग्नेय आयुध को मौके पर सीलबंद न किए जाने तथा साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत होने पर उस पर जब्ती चिट पर अंकित माल नंबर पर ओवर राईटिंग किए जाने तथा उसका कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने जैसे गंभीर विरोधाभास अभिलेख पर हैं। ऐसी दशा में एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मस्तिष्क में उक्त तथ्य संदेह का आधार उत्पन्न कर देते हैं।

13. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 16.12.15 को 23 बजे ग्राम डांग की मोड़ भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड के पास सार्वजनिक स्थल पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय आयुध तथा दो जिंदा राउण्ड अवैध रूप से बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के रखा। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25-(1-बी)(ए) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।

15. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस अपील अवधि पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को नियमानुसार विनिष्ट करने हेतु प्रेषित किया जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

16. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश